

सराड़ा, जिला-उपनगर

24/1/20

पत्रावली पेश न ले जर्ची स्वयं
उप. और न ही फादिवरता जर्ची
उप. | इसके लिए न्यायालय में विधिबद्ध
रूप ले फावले पत्रवाई गई। इसके
उपरांत में अपाचित नहीं हुए। फलतः
जर्ची का उपरांत पत्र इसी तार पर
आइस हाजरी. आइस करकी अपाचित
ठिक जाता है। पत्र. फेराल कुमार
घेन नम्बर 10 कस में लाकर

न्यायालय - उपखण्ड - झाँसी (सर) (सराड़ा)
उपखण्ड - नैगजी वनाम बेजा
(मु.न. 6/2018)

साथिल फफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सराड़ा, जिला-उदयपुर (राज.)